आर्थिक विकास में लघु वनोपज के योगदान का आर्थिक विश्लेषण (सिंगरौली जिले के विशेष संदर्भ में)

सुचेता सिंह
शोधार्थी, अर्थशास्त्र
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म.प्र.)

प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण मध्यप्रदेश अपनी गोद में करोड़ों की संपदा समाहित किये हुये है। वन संपदा में लघुवनोपज एवम् जड़ी बूटियों की भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विदेशों में इसके प्रति बढ़ता आर्कषण एवं माँग से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का अच्छा स्रोत बनता जा रहा है। म.प्र. लघुवनोपजों की प्रचुर संपदा से पूर्ण होने के कारण राज्य को बहुत अधिक राजस्व प्राप्त होता है। ग्रामीण और आदिवासियों की नियमित आवश्यकताएँ विभिन्न लघुवनोपज से पूर्ण होती है। लघुवनोपज ही आदिवासी

मध्यप्रदेश के आदिवासियों और ग्रामीणों का मुख्य कार्य लघुवनोपज का संग्रहण एवं विपणन है। लगभग जनसंख्या के २५ प्रतिशत लोग लघुवनोपज से संबंधित कार्य में लगे हुये हैं। एक सर्वेक्षणानुसार-लगभग ७० प्रतिशत महिलाएँ और बच्चे तथा २७ प्रतिशत पुरुष लघुवनोपज के संग्रहण, एकत्रीकरण में कार्यरत है। भारतीय वनों में फैली हुई लघुवनोपज उत्पाद की ३००० प्रजातियों के संग्रहण से मनुष्य रोज जीवन-यापन की पूर्ति करते हैं। एक सर्वेक्षणानुसार करीब ७०.७२ प्रतिशत बच्चे तथा २२. २७ प्रतिशत तक प्रौढ़ जिनके पास ५ एकड़ से कम जमीन है, वे लघुवनोपज के कार्य में लगे हैं। आदिवासियों की लगभग ३५ प्रतिशत आय लघुवनोपज से है।

लघुवनोपज से लकड़ी और गोबर मिलते हैं जो आदिवासी क्षेत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं। लघुवनोपज चिरौंजी के पेड़ की लकड़ी का उपयोग आदिवासी लोग रोशनी के लिए करते हैं। चिरौंजी की लकड़ी तेज लौ के साथ जलती है। जलाऊ लकड़ी की प्रति केपिटा में निर्धारित खपत २८७ के.जी. प्रतिवर्ष से ४५० के.जी. वर्ष के मध्य है। लघुवनोपज (बांस) अखबार और अर्थव्यवस्था की मुख्य भूमिका निभाते हैं। लघुवनोपज की बिक्री से मध्यप्रदेश शासन को राजस्व का लगभग १३.६ प्रतिशत प्राप्त होता है जो कि मध्यप्रदेश के राजस्व का बहुत बड़ा भाग है। देश की जनसंख्या के २५ प्रतिशत व्यक्ति लघुवनोपज से संबंधित कार्यों में लगे हुये है। सर्वेक्षणानुसार देश के ३० प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे है। इनमें से अधिकांश आदिवासी वन क्षेत्र में या इसके आसपास निवास कर रहे है। इन आदिवासियों की आवश्यकताएँ और आय का स्रोत वन उपज ही है।

लुगदी बनाने के लिए उद्योगों को संपूर्ण कच्चे माल की पूर्ति करता है। भारत में २००१-०२ में भारत के संतुलन में हानि ५८१३ करोड़ रू. थी जिसका कि १९०.७ करोड़ रू. के पेपर, अखबार, छपाई, बोर्ड, लुगदी, रद्दी पेपर के रूप में आयात किया गया। लघु वनोपजों के दायरे में करोड़ों रूपयों के राजस्व देने वाली तेंदूपत्ती हैं। इसी श्रेणी में बांस जिसे गरीबों का टिम्बर कहते है सम्मिलित है। चिरौंजी, आँवला, हर्रा, भिलावा, गोंद, साल बीच, जड़ी-बूटियाँ, महुआ गुल्ली, घास पत्तियाँ आदि लघुवनोपज है।

भारतीय वन विधान के अंर्तगत परिभाषित वनक्षेत्रों से प्राप्त होने वाली अनेक वनउपजों का प्रयोग देश के अधिकांश ग्रामीण बन्धु तथा आदिवासी श्रमिक अपने जीवकोपार्जन हेतु सदियों से करते आ रहे हैं। इन सशक्त संसाधनों से उपजीविका प्राप्त करने वाले असंख्य गरीब वर्ग के जनमानस इन्हीं के उत्पादन पर निर्भर होते आ रहे हैं। कालचक्र की चपेट में इन लघुवनोपजों के उत्पादन में कमी तो आई है, परन्तु देश की बढ़ती आबादी की जरूरत ने भी इस माँग व पूर्ति के अंतर को अत्यधिक बढ़ा दिया है। निरन्तर गिरती

सिकुड़ती उत्पादकता के बाद भी लघुवनोपज की संख्या अनगिनत है।

लघुवनोपजों में तेंदूपत्ता से शासन को प्राप्त आय, ग्रामीण एवं आदिवासियों को रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण वनोपज माना गया है। दूसरी महत्वपूर्ण राष्ट्रीयकृत वनोपजें जैसे-हर्रा, साल बीज, गोंद आदि से भी शासन को वर्तमान समय में अच्छी आय तथा आदिवासियों को रोजगार प्राप्त हो रहा है।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय-

सिंगरौली जिला मध्यप्रदेश राज्य के उत्तर-पूर्व में है। यह जिला पूर्व में सीधी जिले का एक तहसील मुख्यालय था जो वर्तमान में जिले का दर्जा प्राप्त कर चुका है। यह क्षेत्र कोयला खनन के पूर्व घने वनों से आच्छादित था तथा रीवा राज्य (बघेलखण्ड) का एक प्रमुख भाग था। इस क्षेत्र की दुर्गमता एवं कोयला पत्थर पाये जाने के कारण इसे **काला पानी** के नाम से जाना जाता था। रीवा राज्य में जब किसी को काला पानी की सजा दी जाती थी तब उसे यहाँ के जंगलों में छोड़ दिया जाता था। सिंगरौली के नाम के बारे में मान्यता है कि **श्रृंगी ऋषि** ने यहाँ घनघोर वनों में घोर तपस्या की थी और श्रृंगी के नाम से ही इस क्षेत्र का नाम **सिंगरौली** पड़ा। पौराणिक मान्यता है कि इस क्षेत्र में अज्ञातवास के समय **पाडवों** ने कुछ समय मान्डा की गुफाओं में व्यतीत किया था। यह गुफायें आज भी मौजूद हैं। मान्डा की गुफायें सिंगरौली मुख्यालय से ३० किमी. दूरी पर स्थित है।

सिंगरौली जिले की स्थिति २३°४४' उत्तरी अक्षांश से २४°.१२' उत्तरी अक्षांश तक तथा ८१°.४८' पूर्वी देशान्तर से ८२°.१२ पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। सिंगरौली क्षेत्र का विस्तार लगभग २२०० वर्ग किमी. क्षेत्र में पाया जाता है। सिंगरौली जिला बनने के पूर्व यह क्षेत्र सीधी जिले का एक तहसील था। सिंगरौली जिले के उत्तर तथा पश्चिम में सीधी जिला, पूर्व में उत्तरप्रदेश राज्य का सोनभद्र जिला, दक्षिण में छत्तीसगढ़ राज्य का कोरिया जिला स्थित है। यहाँ का विशाल कोयला क्षेत्र १०३ किमी. लम्बाई एवं ४८ किमी. चौड़ाई में विस्तृत है।

अध्ययन का उद्देश्य-

किसी भी शोध परक अध्ययन के लिये उद्देश्यो का पूर्व निर्धारण महत्वपूर्ण होता है, उद्देश्य के निर्धारण के विना अध्ययन वैज्ञानिक नहीं होता अतः उद्देश्य का निर्धारण अनिवार्य है वस्तुतः पर्यावरण एवं परिस्थितिकी संतुलन में एवं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में तथा लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराने में वन एवं वनोपज की महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर भी सिंगरौली जिले के वनों की स्थिति अच्छी ना होना विरोधाभास को जन्म देता है। सिंगरौली जिला जो प्रकृति का एक और उपहार प्राप्त है।

वनों का विनाश पर्यावरण प्रदूषण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन जैसी अवस्था को उत्पन्न किया है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र को विनाश से बचाने के लिये हर मानवीय जीव को वन विकास के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। प्रस्तुत अध्ययन सिंगरौली जिले के आर्थिक विकास में लघु-वनोंपज के योगदान से संबंधित विभिन्न तथ्यों का उद्घाटन करने के लियें आवश्यक मूल-भूत उद्देश्यों पर निर्भर है। वस्तुतः किसी भी शोध परक अध्ययन के लिये उद्देश्यों का पूर्व निर्धारण अत्यन्त आवश्यक होता है। जिसके कारण अनुसंधान को दिशा मिलती है उद्देश्यों के पूर्व निर्धारण के बिना अध्ययन वैज्ञानिक नहीं होता अतः प्रस्तुतः शोध अध्ययन में निश्चित किये गये उद्देश्य इस प्रकार है-

१. सिंगरौली जिले के भौगोलिक एवं आर्थिक स्वरूप का आंकलन करना।
२. आर्थिक विकास में लघु-वनोपज के योगदान का मूल्यांकन करना।
३. सिंगरौली जिले में वन, वनोपज, की स्थिति का मूल्यांकन करना।
४. सिंगरौली जिले में लघु-वनोपज का संग्रहण, आय, रोजगार, उपभोग तथा जीवन स्तर से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करना।
५. वन एवं वनोपज पर आधारित उद्योगों के विकास की संभावनाओं को अनुमानित करना।
६. पर्यावरण असंतुलन, प्रदूषण तथा प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन के दुष्प्रभाव एवं मानवीय संचेतना के विकास का अध्ययन करना।
७. वन व्यवस्था तथा औद्योगिक विकास के क्षेत्रीय एवं जिला स्तरीय प्रकृति का मूल्यांकन करना।
८. वनो की प्रकृति एवं विशिष्टताओं का अध्ययन करते हुए वन विकास हेतु उचित नीति निर्धारण का औचित्य प्रतिपादित करना।

९. उद्योगों की स्थापना का अनुसूचित जनजाति तथा उनकी व्यवस्थाओं पर होने वाले प्रभावों का वर्णन करना।
१०. लघु-वनोपज का जटिलता एवं कमियों का अध्ययन करना।
११. वन तथा लघु-वनोपज के विकास के संदर्भ में लागू की गयी योजना कहाँ तक सकारात्मक साबित हो रही है का अध्ययन करना।

वर्तमान आर्थिक सुधार वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, की अंधी दौड़, में वन और वनउपज को जीविकोपार्जन, और आर्थिक संचालन का आधार मात्र ना मानकर वनों को काट कर, बिक्री से आय प्राप्त कर वाणिज्य, का रूप प्रदान किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कल्याणकारी और आर्थिक विकास में बाधा है। यही एक सबसे बड़ी स्थानीय क्षेत्र से लेकर सार्वभौमिक समस्या है। जिसे दूर करना आवश्यक है। इस योगदान से शोध अध्ययन का यह विषय आर्थिक विकास में लघु-वनोपज के योगदान का आर्थिक विश्लेषण चुना गया है। क्योंकि लघु-वनोपज के दोहन की अवधारणा, पेड़-पौधों अर्थात (वन) के विकास को सासित करेगी, क्योंकि पेड, पौधें अर्थात (वन) की उपस्थिति से ही, लघु-वनोपज को प्राप्त किया जा सकता है, अतः पेड़-पौधों अर्थात (वन) की उपस्थिति रहेगी, लघु-वनोपज की उपलब्धता रहेगी, पीढ़ी-दर-पीढ़ी रोजगार प्राप्त होगा, और विगड़ते पर्यावरण में सुधार होगा-इस औचित्य से यह अध्ययन, महत्वपूर्ण है, आवश्यक है।

शोध प्रविधि-

प्रस्तुत शोध अध्ययन में दोनों प्रकार के समंकों का उचित प्रविधि के द्वारा संकलन किया गया है।

प्राथमिक समंक-

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु प्राथमिक समंको का संतुलन, अनुसूचीं के आधार पर सूचनादाता के पास जाकर साक्षात्कार द्वारा प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया गया है। जैसें तेन्दूपत्तें तुड़ाई की विधि भण्डारण एवं बीड़ी निर्माण, अचार, मुरब्बा निर्माण की विधि एवं निर्माण में लगने वाले उपकरण की कीमत एवं अन्य संसाधनों की लागत साथ उत्पादित वस्तुओं की कुल लागत एवं उत्पादित वस्तु को बेचने के लिये संगठित असंगठित चुने गये बाजार की जानकारी एवं वस्तु को बाजार तक ले जाने के लिये परिवहन की जानकारी, साथा ही वन विभाग के अधिकारी से वन विकास एवं लघु-वनोंपज की उत्पादकता संबधित समंकों को अर्जित किया गया है। साथ ही, आर्थिक विकास की आवश्यकता से संबंधित तथ्यों को अनुसूची के अंतर्गत साक्षात्कार के आधार पर एकत्रीकरण किया गया है। समंको के संकलन हेतु प्रश्नावली का भी प्रयोग किया गया है।

द्वितीयक समंक-

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु द्वितीयक समंकों का भी संकलन किया गया है। द्वितीयक समंकों के संकलन के लिये सार्वजनिक प्रलेखों ;च्नइसपब क्वबनउमदजद्ध के अंतर्गत प्रकाशित व अप्रकाशित प्रलेखों का प्रयोग किया गया है। प्रकाशित प्रलेख के अंतर्गत सरकारी व गैर-सरकारी संगठन, सांख्यिकी विभाग सिंगरौली, वन मण्डल कार्यालय सिंगरौली, वन संरक्षक कार्यालय सिंगरौली, अन्य संबंधित एजेन्सी के अभिलेख तथा अध्ययन में उपयोगी संदर्भित पुस्तकों से समंकों का संकलन जायेगा, साथ ही प्रकाशित आंकड़े तथा विभिन्न प्रकार की साप्ताहिक, मासिक, अर्द्धर्धवार्षिक, वार्षिक, पत्र, पत्रिकायें, शोध पत्र, संगोष्ठी से अध्ययन हेतु उपयोगी समंकों को संकलित किया गया है। अप्रकाशित प्रलेख के अंतर्गत शोध-प्रबंध का भी अध्ययन किया गया है, तथा आवश्यक समंकों को संकलित किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए-

(१) आदिवासियों को रोजगार उपलब्ध कराना।
(२) इससे आदिवासियों को जीवनयापन का साधन प्राप्त होता है।
(३) कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग को आवश्यक कच्चा माल प्राप्त होता है।
(४) पर्यावरण को संतुलित करना।

सिंगरौली जिले के आदिवासियों और ग्रामीणों का मुख्य कार्य लघुवनोपज का संग्रहण एवं विपणन है। लगभग जनसंख्या के २५ प्रतिशत लोग लघुवनोपज से संबंधित कार्य में लगे हुये हैं। एक सर्वेक्षणानुसार-लगभग ७० प्रतिशत महिलाएँ और बच्चे तथा २७ प्रतिशत पुरुष लघुवनोपज के संग्रहण, एकत्रीकरण में कार्यरत है। भारतीय वनों में फैली हुई

लघुवनोपज उत्पाद की ३००० प्रजातियों के संग्रहण से मनुष्य रोज जीवन-यापन की पूर्ति करते हैं। एक सर्वेक्षणानुसार करीब ७०.७२ प्रतिशत बच्चे तथा २२.२७ प्रतिशत तक प्रौढ़ जिनके पास ५ एकड़ से कम जमीन है, वे लघुवनोपज के कार्य में लगे हैं। आदिवासियों की लगभग ३५ प्रतिशत आय लघुवनोपज से है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

1. अग्रवाल के. एल.-विन्ध्य क्षेत्र का ऐतिहासिक भूंगोल प्रथम संस्करण, १९८७
2. दयाल, पी.-भारतीय आर्थिक समस्यॉए एवं नीतियॉ, लायल बुक डिपो, सरस्वती सदन, ग्वालियर
3. जैन, बी.एम.-रिसर्च मैथ्डोलॉजी रिसर्च पब्लिकेशन्स जयपुर, १९९७
4. कुच्छल, सुरेश चन्द्र-भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था, चैतन्य पब्लिशिंग हाऊस, इलाहाबाद, १९७१
5. आर्थिक विकास एवं नियोजन-एस.पी.सिंह-एम. चन्द्र कम्पनी लि. रामनगर नई दिल्ली, वर्ष १९९८
6. भारतीय अर्थव्यवस्था-रूद्र दत्त के.पी.एम. सुन्दरम्-एम.चन्द्र एण्ड कम्पनी लि. रामनगर नई दिल्ली, २००१
7. ग्रामीण अर्थशास्त्र-डॉ.वी.सी.सिन्हा-साहित्य भवन, आगरा, वर्ष १९८७
8. मिश्र, एस.के. एवं पुरी-भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालया पब्लिशिंग हाऊस, मुंबई, १९९०

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com